ईमेल / 10.10 AM

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम ,1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जंहा उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या– 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कौशाम्बी जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1.	मनौरी–सरांयअकिल, कौशाम्बी मार्ग (राज मार्ग संख्या–95 (5–एच)	चायल से निकलकर बेनीराम कटरा, सरांय अकिल,कौशाम्बी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2.	सिराथू–सरायअकिल जि0मार्ग सं0–145	सिराथू से मंझनपुर ओसा चौराहा, करारी होते हुए बेनीराम कटरा,	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3.	कौशाम्बी–हिनौता मार्ग	कौशाम्बी, विजिया चौराहा से निकलकर चम्पहा,गोराजू,पश्चिम शरीरा होते हुए हिनौता	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

4	टेंवा–पश्चिम शरीरा मार्ग	टेंवा से निकलकर पश्चिम शरीरा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
5.	कनैली धरमपुर भखन्दा मार्ग	कनैली से निकलकर धरमपुर भखन्दा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6.	करारी बैगवा सम्पर्क मार्ग	करारी से निकलकर बैगवा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7.	सरायअकिल महिला मार्ग	सराय अकिल से निकलकर महिला	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8.	भरवारी–करारी मार्ग	भरवारी से निकलकर करारी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9.	तिल्हापुर मोड़ नेवादा पुरखास, सरायअकिल मार्ग	तिल्हापुरमोड़ से नेवादा पुरखास होते हुए सरायअकिल	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10.	करारी–शाहपुर मार्ग (अ0जि0मा0)		40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11.	पश्चिम शरीरा से कटरी घाट सम्पर्क मार्ग (पी0एम0जी0एस0वाई0)	पश्चिम शरीरा से निकलकर चांदेराई भगवतपुर होते हुए कटरी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12.	समदा से दरियापुर होते हुए अर्का फतेहपुर सम्पर्क मार्ग(अ0जि0मा0)	समदा से दरियापुर होते हुए अर्का फतेहपुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13.	तिल्हापुर मोड़ से रसूलपुर ब्यूर वाया औधन मार्ग(अ0जि0मा0)	तिल्हापुर मोड़ से औधन होते हुए रसूलपुर ब्यूर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14.	मूरतगंज से राजापुर (राज्यमार्ग सं0.94)	मूरतगंज से राजापुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

15.	सिराथू धाता मार्ग	सिराथू धाता मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
16.	इमामगंज–आलमचंद मार्ग		40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17.	जी0टी0 मार्ग से काजू मार्ग	जी0टी0मार्ग से काजू मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18.	मनौरी भरवारी मार्ग	मनौरी भरवारी मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
19.	फरीदगंज से सिराथू कड़ा मार्ग	सयारा से सामने फरीदगंज से सिराथू कड़ा मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
20	सैनी,सिराथू मानिकपुर	सैनी कैनाल पटरी से निजाममई महराना होते हुए सिराथू मानिकपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
21.	मंझनपुर से उदहिन	मंझनपुर से उदहिन वाया नारा मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
22.	तरसोरा घाट से देवीगंज शहजादपुर गंगाघाट	तरसोरा घाट से टेढ़मोड़ होते हुए तरसौरा,देवीगंज शहजादपुर गंगाघाट तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
23	बिदनपुर–सिराथू–सरायअकिल	जी0टी0रोड बिदनपुर ककोड़ा से नियामतपुर वाया टेंगाई होते हुए सिराथू–सरांयअकिल मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
24	सिराथू–सरायअकिल मार्ग(जि0मार्ग–145)	सिराथू सरायअकिल मार्ग करनपुर से शमसाबाद,हाजीपुर, पतौना एवं उदहिन बुजुर्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
25.	कोखराज,भरवारी, संदीपनघाट	कोखराज, भरवारी से संदीपन घाट वाया चकवन मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 116 में विनिर्दियष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन
ब) एम्बुलेंस ।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

उपरोक्त तालिका के कॉलम– 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा– 112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक–06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

शंकर जी सिंह,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद–कौशाम्बी।

पृ0सं0– स0सु0/2020 समदिनांकित–
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3– जिला अधिकारी, कौशाम्बी।
4– पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निमार्ण खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, कौशाम्बी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने से संबधित मार्गों पर निर्धारित गति सीमा के संबंध में स्पष्ट साइनबोर्ड/ रेफ्लेक्टिव बोर्ड लगाने का कष्ट करें।
6–राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,कानपुर/प्रयागराज ।
7– जनपद कौशाम्बी के समस्त समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को जनहित में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

शंकर जी सिंह,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद– कौशाम्बी।